वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार की अधिसूचना 2006 यथा संशोधित 2009 के प्राविधनों के अर्न्तगत मै0 गोल्डन इन्फ्राकोन प्रा0लि0 प्लाट सं0 01 फेस–2 इन्टीग्रेटेड इण्डट्रीयल स्टेट सिडकुल सितारगंज के स्थापनार्थ प्रातः 11.00 बजे अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता में आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत।

सरकार द्वारा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अर्न्तगत अधिसूचित, अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार **मै0 गोल्डन इन्फ्राकोन प्रा0लि0 प्लाट सं0 01 फेस–2 इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल स्टेट सिडकुल सितारगंज के स्थापनार्थ** प्रस्ताव जिसमें उद्योग की उत्पादन क्षमता 150 कि0ली0 प्रतिदिन ग्रेन/स्टार्च आधरित या 50 कि0ली0 प्रतिदिन मोलासिस आधरित ईएनए एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल क्षमता हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लोक सुनवाई दिनांक 15.10.14 को अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला :(उधमसिंह नगर) की अध्यक्षता मे प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ की गयी। सुनवाई स्थल पूर्व में उधोग का सिडकुल का आंबटित प्रस्तावित स्थल था, किन्तु दिनांक 14. 10.14 से दिनांक 15.10.14 तक क्षेत्र में भारी बरसात होने के कारण सुनवाई प्रस्तावित स्थल के समीप सिडकुल क्षेत्र में स्थित एवरग्रीन होटल में निर्धारित समय से करायी गयी तथा पूर्व स्थल पर वाहन की व्यवस्था कर जो व्यक्ति वहां पहुचे थे, उनको नये स्थल पर लाने की व्यवस्था भी की गयी, सुनवाई का कार्यवृत निम्नवत है।

1. एस0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय तथा सुनवाई हेतु आये हुये गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये अपर जिलाधिकारी से सुनवाई आरम्भ करने की अनुमति ली गयी तथा सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय कार्मिकों द्वारा उपस्थित जनसमूह की उपस्थिति दर्ज की गयी।

2. अपर जिलाधिकारी (नजूल) उधमसिंह नगर, श्री आशीष भट्गांई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समूह से सुनवाई में अपनी टीका–टिप्पणी/सुझाव व आपत्तियों से अवगत कराने के आग्रह के साथ सुनवाई आरम्भ करायी गयी।

3. श्री प्रवीन भार्गव उद्योग के तकनीकी सलाहकार द्वारा वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार में उद्योग द्वारा जमा की गयी ई0आई0ए0 तथा एजिक्यूटिव समरी के परिप्रेक्ष्य मे उद्योग के प्रस्ताव पर विस्तार से तकनीकी विवरण, पर्यावरण सुधार, सामुदायिक कल्याण एवं ग्रामीण विकास व जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण हेतु अपनायी गयी व्यवस्थाओं को जन समूह के समक्ष प्रदर्शित किया गया। उन्होने अवगत कराया कि इस उधोग में विधुत 3 मेगावाट लगेगा। उधोग अपने यहॉ पावर प्लान्ट लगाकार 6.5 मेगावाट विधुत बनायेगा। अतः उधोग की विद्युत आवश्यकता स्वयं के पावर प्लान्ट से ही पूरी हो जायेगी। उधोग मे 50 TPH तथा 15 TPH के दो ब्वायलर पर 60 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी एवं चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईएसपी स्थापित किया जायेगा। उद्योग में ईधन के रूप में Rice Husk/Coal का

प्रयोग किया जायेगा। उद्योग में दो डीजी सेट 500 केवीए क्षमता स्थापित किया जाना प्रस्तावित, हेतु जिसमें ईधन डीजल प्रयोग होगा एवं यह डीजी सेट ईको फ्रेंडली व साउन्डप्रुफ होंगें। उधोग जीरो डिस्चार्ज वेस्ड है। औधोगिक प्रकियाओं में प्रयुक्त होने वाला जल सिडकुल सप्लाई करेगा। उघोग वोरवेल से पानी नहीं लेगा बल्कि रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से रिचार्ज करेगा। उधोग प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करेगा। इसके उपरान्त उपस्थित जनसमूह से प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियॉ, सुझाव, व टीका टिप्पणी, मौखिक अथवा लिखित रूप में देने का आह्वान किया गया ।

1. श्री मुकेश सनवाल पंचायत सदस्य ग्राम सिसोना ने जानना चाहा कि उद्योग लगने से क्षेत्र का भूगर्भीय जल तो प्रदूषित नहीं होगा एवं उधोग में जल खपत से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पडेगा। क्षेत्र के निवासियों को उधोग लगने से क्या लाभ होगा। उधोग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि उधोग में जल की आपूर्ति सिडकुल से होगी। उद्योग कोई वोरवेल नहीं लगायेगा, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल को भूगर्भ में रिचार्ज करेगा जिससे भूगर्भ जल स्तर में बढोत्तरी ही होगी। उधोग जीरो डिस्चार्ज वेस्ड है किसी प्रकार का प्रदूषित उत्प्रवाह परिसर से वाहर डिस्चार्ज नहीं होगा। उघोग स्थापित होने से भूजल स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा बल्कि उधोग स्थापित होने से क्षेत्र निवासियों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वर्तमान में उधोग में 120 कुशल–अकुशल कार्मिकों को रोजगार मिलेगा।

2. श्रीमती जया जोशी, राज्य आन्दोलनकारी, परिषद सदस्य, ग्राम सिसोना ने इस उद्योग स्थापना का स्वागत करते हुये कहा कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहियें। उन्होने कहा कि सिडकुल उद्योगों के लगने से प्रदूषण होता है, उद्योगों को प्रदूषण को रोकने के लिए भी उपाय करने चाहियें तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिये उन्होने कहा कि सिसोना गांव में गरीब बच्चो के लिए वह एक स्कूल चला रही है। उद्यमी स्कूल को आर्थिक सहायता देकर क्षेत्र के गरीब बच्चो की पढाई में सहायक हो सकते है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुये ईटीपी की स्थापना की जायेगी। उद्योग के व्यालर पर स्थापित चिमनी पर इएसपी स्थापित किया जायेगा, जिससे जल/वायु प्रदूषण मानको के अनूरूप नियंत्रित होगा। क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए उद्योग की परियोजना में बजट निर्धारित है जिससे क्षेत्र में सामाजिक विकास कार्य किये जायेगे जैसा कि स्लाइड शो में भी अवगत कराया गय है।

3. श्री भुवन चन्द्र भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आईटीआई सितारगंज ने सिडकुल सितारगंज में उद्योग आने का स्वागत करते हुये कहा कि उद्योग लगने से स्वाभाविक रूप से क्षेत्र का विकास होता है। लोगो को रोजगार मिलता है। परन्तु उद्योग कुशल–अकुशल श्रमिकों की बात कहकर क्षेत्र के युवाओं की उपेक्षा करते है जबकि उद्योगों को चाहिये कि क्षेत्र के बेरोजगारों को यदि वह प्रशिक्षित नही है तो उन्हे प्रशिक्षण देकर उद्योग में रोजगार देना चाहियें। उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश के अनुसार 70प्रतिशत क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये। उद्योग मे ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये क्योकि ठेकेदारो द्वारा

श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है एवं ज्यादा समय तक काम लिया जाता है। यातायात भी स्थानीय ट्रासपोर्टर से नही कराया जाता है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि उनका प्रबन्ध तन्त्र उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा एंव क्षेत्र के युवाओ को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास करेगा। उद्योग का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के अधिक से अधिक रोजगार मिले। यदि उद्योग मे प्रयोग होने वाला कच्चा माल यहा पर मिल जाये तो उद्योग को कय करने में कोई आपत्ति नही होगी क्योकि उद्योग का तो माल भाडा बचेगा तथा ट्रांस्पोटेशन मे भी बचत होगी।

4. श्री राजेन्द्र ग्रर्व्याल, ग्राम ग्रर्व्याल कल्याणपुर, द्वारा आशंका व्यक्त की गयी कि उनका गांव उद्योग परिसर से मात्र आधा किमी0 पडता है उद्योग लगने से सबसे अधिक प्रभावित उनका गांव होगा। उद्योग के रेडिऐशन से प्रदूषण का प्रभाव रोकने के लिए उद्योग द्वारा क्या प्रावधान किये गये हैं। उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया जैसा कि स्लाइड शो के माध्यम से उद्योग के तकनीकी सलाहकार द्वारा दिखाया जा चुका है कि उद्योग अपने संयंत्र के लिए विधुत की व्यवस्था अपने यहां पर पावर प्लान्ट लगाकर पूरी करेगा। उधोग जीरो डिस्चार्ज वेस्ड है किसी प्रकार का प्रदूषित जल उद्योग उद्योग परिसर से बाहर नही निकाला जायेगा। उद्योग के अन्दर प्रदूषित जल के उपचार हेतु ईटीपी की स्थापना की जायेगी। उद्योग मे विधुंत की खपत अपने यहॉ के वेस्ट से उत्पादित की जायेगी। व्वायलर पर स्थापित चिमनी पर वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए ईएसपी की स्थापना की जायेगी। उधोग की औधोगिक प्रकियाओं से रेडिऐशन की कोई सम्भावना नही है।

5. नारायण सिंह धामी, ग्राम कल्याणपुर, ने कहा कि यघपि उत्तराखण्ड शासन ने 70 प्रतिशत रोजगार क्षेत्र के लोगों को देने के लिए शासनादेश किया है परन्तु देखा गया है कि इसका पालन नही किया जाता है। उन्होने क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने की मॉग की तथा क्षेत्र के गरीब श्रेणी के बच्चो को पढाई कराने के लिए भी उद्योगो को आगे आने की आवश्यकता बतायी। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि जैसे कि पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि उनका उद्योग क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लोगो को रोजगार देने का प्रयास करेगा। उद्योग लगने से क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग क्षेत्र में समय समय पर सामाजिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाये चलायेगा। जिसमें साफ सफाई कराना, मेडिकल सुविधा देना आदि होगा।

6. श्री पूरन सिंह रावत, एडवोकेड, ने उद्योग लगाने का स्वागत किया कि यह सिडकुल क्षेत्र के लिए अच्छी बात है परन्तु क्षेत्र के लोगो को रोजगार भी देना चाहिये। अन्य माध्यम से भी जैसे ट्रांस्पोटेशन, कच्चे माल के आपूर्ति मे भी क्षेत्रवासियों को भागीदार बनाना चाहिये। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि उद्योग का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के अधिक से अधिक रोजगार मिले। यदि उद्योग मे प्रयोग होने वाला कच्चा माल यहॉ पर मिल जाये तो उद्योग को कय करने में कोई आपत्ति नही होगी क्योकि इससे उद्योग का माल भाडा बचेगा तथा ट्रांस्पोटेशन मे सुविधा होगी।

7. श्री राकेश ग्राम निर्मलनगर, शक्तिफार्म, ने कहा कि सिडकुल के उद्योगो द्वारा अपने यहा बोरवेल से पानी निकाला जाता है जिससे भूमिजल स्तर नीचे हो जाता है यहॉ पर किसानों को कठनाई का सामना करना पडता है। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया है कि उनका उद्योग कोई बोरवैल नही लगायेगा बल्कि उद्योग के लिए पानी की सप्लाई सिडकुल से लेगा। उद्योग वर्षा जल के लिए रेन हॉवेस्टिंग सिस्टम लगा कर वर्षा जल को भूमि के अन्दर डिस्चार्ज करेगा जिससे भूमि जल स्तर मे सुधार ही होगा।

8. श्री आदेश ठाकुर, जिलाध्यक्ष बीजेपी, सितारगंज, ने कहा कि उद्योग में मजदूरो का शोषण होता है, सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था नही की जाती है। उनसे कम मजदूरी पर ज्यादा समय काम लिया जाता है। उद्योग की इस संबंध मे क्या नीति रहेगी। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि उनका उद्योग न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकारी नियमो का पालन करेगा एवं मजदूरों से 8 धण्टे डियूटी ली जायेगी। फैक्ट्री एक्ट के नियमो का कन्सलटेन्ट से राय लेकर श्रमिकों की सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेगे जिसमें दस्ताने, हेल्मेट, बूट आदि दिये जायेगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगा कर सुरक्षा की निगरानी की जायेगी।

9. श्री कमल जिन्दल, सितारगंज ने कहा कि उद्योग स्थापित होना क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है परन्तु उद्योगो द्वारा सुरक्षा नियमो का पालन नही किया जाता है जिससे दुर्धटना होने की सम्भावना रहती है तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। अतः उद्योग प्रबन्धकों को सुरक्षा उपायो को व्यवहार मे लाना चाहिये। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि जैसा कि अवगत कराया जा चुका है कि उद्योग श्रमिक सुरक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय करने के लिए कृत संकल्प है।

10. श्री भोपाल सिंह बोरा, ग्राम प्रधान कल्याणपुर, ने कहा कि उद्योग लगने से भूजल प्रदूषित होने की सम्भावना है इसके लिए उद्योग द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी तथा ट्रांस्पोटेशन में स्थानीय ट्रांस्पोटरो की भी भागीदारी की जानी चाहिये। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जैसा कि पूर्व में अवगत कराया जा चुका है एवं स्लाइड शो से भी उद्योग जीरो डिस्जार्च वेस्ड है। उद्योग में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीक आधारित ईटीपी लगाया जायेगा किसी प्रकार का प्रदूषित पानी उद्योग द्वारा भूगर्भ में नही निस्तारित किया जायेगा। अतः भूजल प्रदूषित होने की कोई सम्भावना नही है। जहॉ तक ट्रांस्पोटेशन की बात है उद्योग इसका ध्यान रखेगा।

11. श्री राजकुमार, ग्राम कुकरोली, ने कहा कि उनका गांव सिडकुल के बिल्कुल करीब है और वह सिडकुल में उद्योग लगने से बहुत खुश है। इनमें स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार भी मिला है। परन्तु उद्योगों द्वारा अपने यहां प्रदूषण नियंत्रण हेतु की व्यवस्थाओं को समुचित रूप से चलाया नहीं जाता। उधोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए । उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके उधोग द्वारा परियोजना में ही जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है एवं उनका उधोग इस

बात का पूरा ध्यान रखेगा, कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा जो भी मानक बनायें गये है, उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

12. श्री संजय बछाड, ग्राम प्रधान रूद्रपुर, ने कहा कि सिडकुल के समीप कई गांव पडतें है उद्योगो को गांवों में साफ सफाई कराये जाने के लिए भी प्रयास करने चाहिये। स्थानीय एवं जनप्रतिनिधियों को विश्वास मे लेकर विकास संबंधी कार्य भी करने चाहिये जिससे क्षेत्र में सौहार्द पूर्ण औद्योगिक वातावरण बना रहे। उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनका उद्योग मे सामुदायिक कार्यो के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गयी है एवं उनका उद्योग जन सहभागिता से इन कार्यो को करायेगा। उन्होने कहा कि वह ग्राम प्रधान की बातो से सहमत है एवं जन प्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जायेगा।

13. अन्त में अपर जिलाधिकारी, नजूल व क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) द्वारा मंच से पुनः उपस्थित जन समूह से अपनी आपत्तियॉ, सुझाव व टीका टिप्पणी, व्यक्त करने की पुनः अपेक्षा की गयी तथा बोर्ड के कार्मिक से लाउडस्पीकर लेकर जनता के बीच जा कर आपत्तियॉ, सुझाव, व टीका टिप्पणी, लेने हेतु निर्देश दिया गया। बोर्ड के कार्मिक द्वारा निर्देश का अनुपालन करते हुये जनता के बीच जा कर उक्त के संबंध में अपेक्षा की गयी। उक्त विचारों के अतिरिक्त सुनवाई के दौरान कोई मोखिक अथवा लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

14. अंन्त में अपर जिलाधिकारी, (नजूल) उधमसिंहनगर द्वारा उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया ।

(एस0पी0सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

(आशीष भटगांई)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
उधमसिंह नगर